जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना कोतवाली शहर **दिनांक- 02/05/2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 306/2026 धारा 103(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.04.2026 को वादीया द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त राहुल पुत्र घनश्याम निवासी गोकुलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादीया की पुत्री की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 306/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम राहुल पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 02.05.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्त राहुल पुत्र घनश्याम निवासी गोकुलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू बरामद किया गया। बरामदगी व साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ-

अभियुक्त राहुल उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका वादिया की पुत्री के साथ पूर्व से परिचय व निकटता थी, जिसको लेकर पूर्व में विवाद उत्पन्न होने पर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था तथा वह जेल भी जा चुका था। जेल से आने के पश्चात पुनः दोनों के बीच संपर्क स्थापित हो गया था तथा उसका वादिया की पुत्री के घर आना-जाना भी था। दिनांक 21.04.2026 को अभियुक्त वादिया की पुत्री से मिलने उसके घर गया, जहां आपसी कहासुनी होने पर अभियुक्त ने आवेश में आकर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के उपरांत अभियुक्त ने स्वयं को भी घायल कर लिया तथा प्रयुक्त चाकू को घर के पीछे कचरे में फेंक दिया, जिसे बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र घनश्याम निवासी गोकुलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राहुल उपरोक्त-

1.मु0अ0स0 306/2026 धारा 103(1) बीएनएस 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0 868/2022 धारा 147/148/323/325/504/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0स0 390/2024 धारा 406, 420, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0स0 971/2024 धारा137(2)/142/64(1) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.थानाध्यक्ष रामप्रताप सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 अंकुर पाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.का0 1084 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4.का0 1198 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

5.रिक्रूट आरक्षी राजकुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

6.रिक्रूट आरक्षी शुभम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद दिनांक 02.05.2026

थाना नजीबाबाद पुलिस टीम मु0अ0स0-180/2026 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस से संबधित अभियुक्त को चोरी किये गये 16,000/- रूपये नकद व सफेद धातु के 15 सिक्के व 02 अंगुठियों सहित गिरफ्तार किया गया।

विवरण- :–

अवगत कराना है कि वादी शुभम अग्रवाल पुत्र हरिओम अग्रवाल नि0 मौ0 बालकराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गई कि उसकी हरिओम वैरायइटी स्टोर चौक बाजार स्थित दुकान से अज्ञात चोरो द्वारा नगदी व नोटो की मालाएं जिनकी कीमत लगभग 4- 5 लाख रूपये व कुछ आभूषण व चांदी के सिक्के चोरी कर लिये गए । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0-180/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । घटना के अनावरण हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया।

स्वाट/सर्विलांस व थाना नजीबाबाद की संयुक्त टीम दिनांक 27.04.26 को प्रकाश मे आये अभि0 मौ0 रफी उर्फ बब्बू पुत्र बन्ने निवासी निकट लाल मस्जिद मौ0 कायस्थान चमुण्डा रोड थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को कुल 5,14,380/- रूपये नगद एवं 15 सफेद धातु के सिक्के सहित गिरफ्तार किया गया था। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

अभियुक्त मौ0 रफी उर्फ बब्बू से पूछताछ के दौरान इसके साथी अभियुक्त इमामुद्दीन पुत्र स्व0 शहाबुद्दीन निवासी ग्राम बादल गुम्मद थाना नखासा जनपद संभल का नाम प्रकाश मे आया जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

कार्यवाही-

आज थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त इमामुद्दीन पुत्र स्व0 शहाबुद्दीन निवासी ग्राम बादल गुम्मद थाना नखासा जनपद संभल को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से उपरोक्त चोरी की घटना के 16,000/- रूपये नकद और सफेद धातु के कुल 15 सिक्के व दो अंगुठी बरामद हुई। अभियोग मे अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने अपने साथी मौ0 रफी उर्फ बब्बू (उपरोक्त) के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी किए गए सामान को मौ0 रफी उर्फ बब्बू

अपने घर ले गया। अभियुक्त ने बताया कि मौ0 रफी उर्फ बब्बू ने उसे खर्च हेतु ₹20,000 नगद, 15 चांदी के सिक्के एवं 02 चांदी की अंगूठियां दी थीं तथा शेष धनराशि अपने घर में छिपाकर रखी है। यह भी बताया कि बाद में आपस में रुपये बांटने की बात तय हुई थी। अभियुक्त से बरामद हुई नकदी उसी चोरी की घटना की है बाकि नगदी उसने खर्च कर दी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

इमामुद्दीन पुत्र स्व0 शहाबुद्दीन निवासी ग्राम बादल गुम्मद थाना नखासा जनपद संभल

बरामदगी का विवरण-

नकद 16000 रूपये व 15 चांदी के सिक्के व दो अंगुठी चांदी।

अभियुक्त इमामुद्दीन उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0स0 130/19 धारा 307 भादवि थाना आजमपुर जनपद अमरोहा
2. मु0अ0स0 131/19 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना आजमपुर जनपद अमरोहा
3. मु0अ0स0 132/19 धारा 413/414 भादवि थाना आजमपुर जनपद अमरोहा
4. मु0अ0स0 708/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा
5. मु0अ0स0 707/17 धारा 380/411 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा
6. मु0अ0स0 817/17 धारा 380/411/427 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा
7. मु0अ0स0 559/18 धारा 380/411 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा
8. मु0अ0स0 94/19 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना हसनपुर जनपद अमरोहा
9. मु0अ0स0 28/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा
10. मु0अ0स0 36/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा
11. मु0अ0स0 50/24 धारा 307/414/420 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 थाना हसनपुर जनपद अमरोहा
12 मु0अ0स0-180/2026 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

1.प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 श्री विनोद कुमार पाण्डेय थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. का0 2591 सुमित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4. का0 1832 विरेन्द्र थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
5. म0का0 1129 निकिता थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।